# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक
(लोकेश कुमार गौतम,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्याः— 19/2016
प्रविष्टि दिनांकः— 23—09—2016

घीसी देवी पत्नी पोलूराम जाति माली निवासी भासू तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज0।
........ आवेदक

बनाम

1. रामकरण कुम्हार पुत्र श्री मूल्या कुम्हार जाति कुम्हार निवासी भासू तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज0।
2. भू आवंटन सलाहकार समिति, जरिये उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा जिला टोंक राज0।
..........अनावेदकगण

**आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4)**
**राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भू—आवंटन नियम**

उपस्थित : (1) श्री शिवराज चांगल, अभिभाषक आवेदक

**निर्णय** **दिनांक 05—04—2018**

1— संक्षेप में प्रार्थना पत्र प्रार्थी का सार इस प्रकार है कि भू—आवण्टन सलाहकार समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह ने केम्प भासू तहसील टोडारायसिंह में दिनांक 22—05—1989 को अप्रार्थी संख्या 1 रामकरण पुत्र मूल्या कुम्हार निवासी भासू तहसील टोडारायसिंह को आराजी खसरा नम्बर 918/1 रकबा 2 बीघा जिसके हाल खसरा नंबर 508 रकबा 0.22 हे0 वाके ग्राम भासू का आवण्टन किये जाने का आदेश पारित किया है जिसे आवेदक ने आवंटन को विधि विरूद्व मानते हुए इस आवंटन को निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

2— प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई एवं आवण्टन पत्रावली मंगवाई गई।

3— प्रार्थी (आवेदक) द्वारा दस्तावेजात में सत्य प्रतिलिपी प्रा0 पत्र एवं आवण्टन 22.05.1989 इन्कारनामा, नक्शाट्रेस एवं नकल जमाबन्दी सम्वत 2070—73 प्रस्तुत की है।

4— अप्रार्थी सं0 1 की ओर से दिनांक 30.06.17 को वकालतनामा पेश करने का अंडर टेंकिग दिया गया था किन्तु आदिनांक काफी अवसर दिये जाने के बावजूद वकालतनामा पेश नहीं किया एवं उपस्थित भी नहीं हुए। अतः उनका बहस का अवसर बंद किया गया। अभिभाषक आवेदक की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

5— विद्वान अभिभाषक आवेदक ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि आंवटनशुदा भूमि ख0नं0 918/1 रकबा 2 बीघा हाल ख0नं0 508 रकबा 0.22 हे0 जो आवंटी को आवंटन किया गया था उक्त भूमि के संबंध आवंटी रामकरण द्वारा तत्समय उक्त भूमि का सुपुर्दगीनामे पर कब्जा नहीं लेकर इन्कारनामा लिख दिया कि मेरे को

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

जो भूमि आवंटन हुई है जो मौके पर रास्ता/उसर खरडा /नाकाबिले काश्त भूमि है और मौके पर काबिज काश्त भूमि नहीं है इसलिए उक्त आवंटन भूमि को में लेना नहीं चाहता हूं। आवंटी ने उक्त इन्कारनामा रूबरू गवाहान की उपस्थिति में हल्का पटवारी से सुपुर्दगीनामा नहीं लेकर इन्कारनामा लिखा है। आवंटन शुदा भूमि आवेदक की भूमि ख0नं0 255 व अन्य भूमियों पर आने जाने का रास्ता है, आवंटन कागजी है। आवंटन तिथी से लेकर आज दिनांक तक अलाटी रामकरण का कब्जा नहीं रहा है और न हीं उसके द्वारा आवंटन शर्तो की पालना ही की गयी है बल्कि उक्त आराजियात पर उक्त आवंटन से पूर्व से ही रास्ता था और रास्ता है जिसे आवंटन ने इन्कार नामा के जरिये रास्ता होना स्वीकार किया है। इन सभी तथ्यों से आवंटन नियमों के विपरीत होने से अप्रार्थी सं0 1 के हक में किया गया आवंटन को निरस्त फरमाया जावे।

6– हमने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, मूल आवंटन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन, मनन एवं परिशीलन किया। भू–आवण्टन सलाहकार समिति ने केम्प भासू तहसील टोडारायसिंह में दिनांक 22–05–1989 को अप्रार्थी संख्या 1 रामकरण पुत्र मूला जाति कुमहार निवासी भासू तहसील टोडारायसिंह को आराजी खसरा नम्बर 918/1 रकबा 2 बीघा जिसके हाल खसरा नंबर 508 रकबा 0.22 हे0 वाके ग्राम भासू का आवण्टन किये जाने का आदेश पारित किया है। आवण्टन पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रतिपक्षी सं01 के द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र में मात्र पटवारी हल्का ने आवंटी रामकरण को भूमि आवंटन की रिपोर्ट की है जबकि रिपोर्ट पर भू0अ0नि0 व तहसीलदार द्वारा भूमि आवंटन की सिफारिश किये जाने का उल्लेख नहीं है। आवंटन के पश्चात सुपुर्दगीनामा दिये जाने के समय आवंटी रामकरण ने जरिये सुपुर्दगीनामा कब्जा नहीं लेकर रूबरू गवाहान हल्का पटवारी उक्त आवंटनशुदा भूमि के बारे में इन्कारनामा यह कहते हुए लिख दिया कि उक्त भूमि को वह लेना नहीं चाहता है। आवंटी ने इन्कारनामें विवादित भूमि मौके पर रास्ता/उसर खरडा/नाकाबिले काश्त होना स्वीकार किया है। उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी समर्थन योग्य प्रतीत होता है।

## आदेश

7. फलतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र आवेदक स्वीकार कर अप्रार्थी सं0 1 रामकरण पुत्र मूल्या कुम्हार निवासी भासू तहसील टोडारायसिंह को आराजी खसरा नम्बर 918/1 रकबा 2 बीघा जिसके हाल खसरा नंबर 508 रकबा 0.22 हे0 वाके ग्राम भासू तहसील टोडारायसिंह का दिनांक 22.05.1989 वाके ग्राम भासू तहसील टोडारायसिंह का किया गया आवण्टन निरस्त किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 05.04.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

(लोकेश कुमार गौतम)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक–राज0